-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।



पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / ०१ – (एक) / २०१८ / 🛭 🜖 दिनांकः - 🚜 - १८

सेवा में,

प्रबन्धक,

बाबू कामता सिंह महाविद्यालय लफिया, लालगंज, आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या— 1103 (1)/सत्तर—6—2014—2(97)/2014, दिनांक—01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के कम में बाबू कामता सिंह महाविद्यालय लिक्या, लालगंज, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बीठएड० पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों (02 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक—01.07.2017 से सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक—02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस

विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।

2. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या— 5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002,

दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन/एन०सी०टी०ई० जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठ्न-पाठ्न कराया जायेगा।

. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित

समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी

जाएगी।

7. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16 (33)/2015, दिनांक—12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के कम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।

उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

9. A.I.S.H.E. के अन्तर्गत रिजस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।

10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।

11. N.C.T.E के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।

12. महाविद्यालय समय-समय पर शासन/एनoसीoटीoईo एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।

13. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

कुलसमिव निव्या

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

 क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन निधि, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर— 302005 (राजस्थान)

परीक्षा नियंत्रक।

उपकुलसचिव (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

टेविनकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेत्।

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344 Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।



पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 2015 / 1035 दिनांक : 09 ६-05 - 2015

सेवा में.

, प्रबन्धक, बाबू कामता सिंह महाविद्यालय, लिफया, लालगंज, आजमगढ।

विषय . महाविद्यालय को रनातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यकम के संचालन हेत् सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—1103(1) / सत्तर—6—2014—2(97) / 2014, दिनांक—01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शिक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकर्मों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमित दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के कम में विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक-28 अप्रैल 2015 के कार्यसूची संख्या-08 पर लिये गये निर्णय के आलोक में बाबू कामता सिंह महाविद्यालय, लिफया, लालगंज, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बीoएडo पाठ्यकम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेत् सम्बद्धता प्रदान की जाती है:--

1. महाविद्यालय में बी०एड० विभागाध्यक्ष का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र से सम्बन्धित कमी को महाविद्यालय तीन्।भी परा कर लेगा।

2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सूसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।

3. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यकम में शासन/एन.सी.टी.ई. जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आबंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं

परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शतौं का अनुपालन करेगी।

6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ती एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7. महाविद्यालय की भूमि जॉच किये जाने हेत् सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जॉच हेत् प्रेषित पत्र पर प्राप्त जॉच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।

9. उक्त सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय.

कुलसिचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन निधि एल०आई०सी० बिल्डिंग,अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005 (राजस्थान)

परीक्षा नियंत्रक।

6. टेविनकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेत्।

कुलंसचिव